न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/162

बाबू लाल आत्मज छोट्या जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रकाश आत्मज देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. रामनिवास आत्मज देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
3. कस्तूरी पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. कंचन पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
5. दाखा बाई पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. भूली बेवा देवकरण जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
7. दीनदयाल आत्मज केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
8. चन्द्रप्रकाश आत्मज केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
9. गीता पुत्री केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
10. कला बाई बेवा केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
11. प्रेम पुत्री खाना जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
12. कमला बाई पुत्री खाना जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
13. सुगनता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
14. चन्द्रकान्ता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहंसील तालेडा जिला बून्दी।
15. सूरजा बाई बेवा छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पुरूषोत्तम पंचोली, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सवर तहसील बून्दी में जमाबन्दी खतौनी संख्या 75 सम्वत् 2055–2058 में कुल 12 किता की 49 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 से 4 के पिता के खातेदारी में दर्ज थी । पक्षकारान अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 4 का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रतिवादी कम 1 से 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । प्रतिवादी कम 1 रामनिवास, कल्याण के गोद चला गया है इस प्रकार से रामनिवास का देवकरण के हिस्से में से नाम हटाया जाकर कल्याण के हिस्से में अंकित किया जावे ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 से 4 के नाम के साथ वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.10.2001 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 रामनिवास का नाम विलोपित करते हुए कल्याण के हिस्से 1/4 पर रामनिवास दत्तक पुत्र कल्याण दर्ज किया जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी कम 2 से 4 का हिस्सा 1/4 – 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.10.2001 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 बाबूलाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प ग्राम सीन्ता में पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री एक ही दिन में बिना सोचे समझे विधि विरूद्ध जाकर तथा अपने निहित क्षेत्रासधिकार से परे जाकर पारित किया है । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार भंवर लाल जी थे । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें जिन व्यक्तियों को वादीगण के रूप में संयोजित किया गया है उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । वादपत्र में वादी के रूप में न तो रेस्पोडेन्ट कम 3 से 6 के हस्ताक्षर हैं और न ही रेस्पोडेन्ट कम 7 से 10 के हस्ताक्षर हैं और न ही रेस्पोडेन्ट कम 11 व 12 के हस्ताक्षर हैं । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वादीगण के हस्ताक्षर के बाद पत्र को स्वीकार कर त्रुटि की है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा पेश किया उसमें समस्त प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2001 को जवाबदावा पेश किया गया उस पर भी रेस्पोडेन्ट कम 2 के द्वारा अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं क्योंकि उस दिन अपीलान्ट सरकारी सेवा पर पदस्थापित था जिसका कार्यालय ड्यूटी प्रमाण पत्र अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा मिलीभगत करके कल्याण के हिस्से की जमीन हडपने की नियत से वादपत्र पेश किया था क्योंकि स्व0 कल्याण अविवाहित थे और उनके कोई संतान नहीं थी और न ही स्व0 कल्याण ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट कम 2 को कभी गोद नहीं लिया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.04.2015 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व रेस्पोडेन्ट क्रम 07 से 10 के पिता व पति स्व0 केसरी लाल तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 11 व 12 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 लगायत 6 के द्वारा दिनांक 09.10.2001 को प्रशासन गॉव के संग अभियान के दौरान ग्राम सीन्ता में बतौर वादीगण संयोजित होते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 2 तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 12 से 15 को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित करते हुए अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्त का वाद प्रस्तुत किया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर जवाबदावा पेश कर दावे को स्वीकार किया है और दावे को डिक्री करने में अनापित्त प्रकट की और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया है । एक ही दिन में बिना सोचे – समझे विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है । आराजी भंवर लाल के खाते दर्ज थी । भंवरलाल की मृत्यु के बाद आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 एवं अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज हुई थी । जिन व्यक्तियों को वादी बनाया गया है उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । जवाबदावे में समस्त प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । कल्याण के हिस्से की आराजी को हडपने के लिए यह दावा पेश किया गया था । कल्याण अविवाहित था उन्होंने रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को गोद नहीं लिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो अवैध है और अवैध आदेश को निरस्त कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । बाबूलाल सरकारी नौकरी में था दिनांक 09.10.2001 को वो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं । ड्यूटी का प्रमाण पत्र पेश किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1992 पेज 17, उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सन् 2001 का निर्णय है जिसके खिलाफ अपील सन् 2015 में पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है । बाबू लाल के हस्ताक्षर हैं । सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । इस निर्णय के उपरान्त रिलीज डीड भी निष्पादित करवाई गई है । अपीलान्ट की जानकारी में अपीलाधीन निर्णय था । विलम्ब को समुचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे 2016 (1) पेज 201, डीएनजे 2018 (3) पेज 930 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में एक वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती वादीगण की ओर से पेश किया गया जिसमें अपीलान्ट बाबूलाल को बहैसियत प्रतिवादी

पक्षकार बनाया गया था । इस दावे में रामनिवास और बाबूलाल अपीलान्ट की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया है और इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.10.2001 को दावा वादी डिक्री किया है । वादग्रस्त आराजी मुताबिक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 रामनिवास पुत्र देवकरण व छोट्या पुत्र भंवरलाल के खाते में दर्ज है । मुताबिक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से 2047 वादग्रस्त आराजी भंवर लाल के खाते में दर्ज है और मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 वादग्रस्त आराजी रामनिवास पुत्र देवकरण व छोट्या पुत्र भंवर लाल के खाते में दर्ज है ।

11. पत्रावली में जो शजरा पेश किया गया है उसमें भंवर लाल के चार पुत्र बताये गये हैं खाना, कल्याण, देवकरण एवं छोट्या । खाना के वारिसों का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है । कल्याण कुंवारा फौत होना बताया गया है और देवकरण के एक पुत्र रामनिवास में खाते में 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है और छोट्या का आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है । राजीनामा जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है उसके अनुसार कल्याण का दत्तक पुत्र रामनिवास को मानते हुए उसका 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है और देवकरण के हिस्से में रामनिवास का नाम विलोपित करते हुए खाना के वारिसों का 1/4 हिस्सा देवकरण के वारिसों का 1/4 हिस्सा छोट्या के वारिसों का 1/4 हिस्सा निर्धारित किया गया है । यद्यपि इकबालिया जवाब रामनिवास एवं बाबूलाल अपीलान्ट के द्वारा ही पेश किया गया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर सन् 2001 में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने सन् 2015 में अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण अपीलान्ट ने स्पष्ट नहीं किया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में इकबालिया जवाब पेश कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है उसको अपीलान्ट को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं तो इस बाबत् अपनी आपित्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं । कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई सहमति की डिक्री के खिलाफ श्रवणाधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को है । आरआरटी 2013 पेज 807 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह होल्ड किया है कि यदि राजस्व न्यायालय में कपटपूर्ण तरीके से समझौते की डिक्री प्राप्त की है तो प्रभावी रूप से कपट के आरोप का अधिनिर्णय करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । वाद ग्रहण करने की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को है ।

13. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पैरा क्रम 12 में किये गये विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अथवा सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/162

बाबू लाल आत्मज छोट्या जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रकाश आत्मज देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. रामनिवास आत्मज देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
3. कस्तूरी पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. कंचन पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
5. दाखा बाई पुत्री देवकरण जात माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. भूली बेवा देवकरण जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
7. दीनदयाल आत्मज केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
8. चन्द्रप्रकाश आत्मज केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
9. गीता पुत्री केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
10. कला बाई बेवा केसरी लाल जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
11. प्रेम पुत्री खाना जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
12. कमला बाई पुत्री खाना जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
13. सुगनता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
14. चन्द्रकान्ता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
15. सूरजा बाई बेवा छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 56/दावा/2001

1. केसरी लाल पुत्र खाना ।

2. प्रेम पुत्री खाना ।
3. कमला पुत्री खाना ।
4. पुष्पा बेवा खाना ।
5. रामप्रकाश पुत्र देवकरण ।
6. कस्तूरी पुत्री देवकरण ।
7. कंचन पुत्री देवकरण ।
8. दाखां बाई पुत्री देवकरण ।
9. भूली बेवा देवकरण जाति माली निवासीगण सवर तहसील तालेडा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र देवकरण दत्तक पुत्र कल्याण ।
2. बाबूलाल पुत्र छोटा ।
3. सुगनता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. चन्द्रकान्ता पुत्री छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
5. सूरजा बाई बेवा छोटा जाति माली निवासी ग्राम सवर तहसील तालेडा जिला बून्दी।
6. तहीसलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलधर सिंह एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री पुरूषोत्तम पंचोली के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2001 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पैरा कम 12 में किये गये विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अथवा सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा